झारखण्ड उच्च न्यायालय में रसोईया के पद पर नियुक्ति हेतु (विज्ञापन संख्या 02/स्थापना/2023) स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अनुदेश निम्नवत है :–

अनुदेश

1. सूचित किया जाता है कि 'स्क्रीनिंग टेस्ट' के लिए आते समय सभी उम्मीदवार यह प्रवेष पत्र, दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ लेकर आए। इसके अलावे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र/ अंक पत्र, जन्म तिथि, योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित एवं मूल प्रति तथा आवेदन पत्र में लगाए गए दस्तावेजों की मूल प्रति लाना अनिवार्य है। यदि आप सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लायें। यदि आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(**अनु0–**I)**/पिछड़ा वर्ग **(**अनु0–**II)**/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं तो प्राधिकृत अधिकारी (जिसका वर्णन विज्ञापन में है) द्वारा निर्धारित प्रारूप में रोजगार प्रयोजन हेतू जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित एवं मूल प्रति लेकर आए।
2. कृपया इस प्रवेश–पत्र की छाया प्रति भविष्य के सन्दर्भ के लिए अपने पास रखें।
3. यह प्रवेश–पत्र नियोजन का प्रस्ताव नहीं हैं।
4. किसी भी तरह का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
5. यदि आप स्क्रीनिंग टेस्ट में उर्त्तीण भी हो जाए और आप पात्रता के मानदंड और चयनित सूची की शर्तो को पूरा नहीं करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी भर्ती के किसी भी चरण में या चयन के उपरांत निरस्त कर दी जाएगी।
6. चयनित उम्मीदवारों की सूची झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची के वेब साईट पर दर्शायी जाएगी।
7. प्रवेश–पत्र में दर्शाए गए स्क्रीनिंग टेस्ट की तिथि को गंतव्य स्थल पर प्रातः 09:30 बजे उपस्थित हो।

****